पाणिनि

चर्चा में क्यों?

- 5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत के विद्वानों को पराजित करने वाली एक व्याकरणिक समस्या को अंततः कैंब्रिज विश्वविद्यालय में एक भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि राजपोपत द्वारा हल किया गया है।

भाषा विज्ञान के जनक 'पाणिनि' के बारे में:

- पाणिनि शायद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे जो सिकंदर के आक्रमण और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का काल था, भले ही उन्हें 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बुद्ध और महावीर के काल का बताया गया हो।
- वह संभवतः सलातुरा (गांधार) में रहते थे , जो आज उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। यह संभवतः तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। यहाँ से कौटिल्य और चरक ने शिक्षा ग्रहण की थी जो क्रमशः राजनीतिशास्त्र और चिकित्सा के महान ज्ञाता थे।
- 'अष्टाध्यायी', या 'आठ अध्याय', चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित एक प्राचीन ग्रंथ है।
- यह एक भाषायी ग्रंथ है जो इस बात के लिए मानक निर्धारित करता है कि संस्कृत को कैसे लिखा और बोला जाना चाहिए।
- यह भाषा के ध्वन्यात्मकता, वाक्य-विन्यास और व्याकरण का गहन विश्लेषण करता है।
- पाणिनि का व्याकरण, जो पूर्व के कई व्याकरणविदों के कार्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया, ने संस्कृत भाषा को प्रभावी रूप से स्थिरता प्रदान की।
- अष्टाध्यायी ने 4,000 से अधिक व्याकरणिक नियम निर्धारित किए।

- बाद के भारतीय व्याकरण ग्रंथ; जैसे- पतंजलि का महाभाष्य (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) तथा जयादित्य और वामन की कासिका वृत्ति (7वीं शताब्दी ईस्वी), ज्यादातर पाणिनि पर टीकाएँ हैं।

स्रोत- द हिन्दू

उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कोई अवकाश पीठ उपलब्ध नहीं होगी।

प्रमुख बिंदु

- **अवकाश पीठ का गठन कौन करता है?**
- सर्वोच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक विशेष पीठ है।
- **अवकाश पीठ का गठन कब किया जाता है ?**
- सुप्रीम कोर्ट हर साल दो लंबी छुट्टियां लेता है- गर्मी और सर्दी की छुट्टियां, लेकिन इन अवधियों के दौरान यह पूरी तरह से बंद नहीं होता है।

जरूरी मामले:

- याचिकाकर्त्ता अभी भी छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अगर न्यायालय यह निर्णय लेता है कि याचिका एक "अत्यावश्यक मामला" है, तो अवकाश खंडपीठ मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई करती है।
- हालांकि इस बात की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है कि "अत्यावश्यक मामला" क्या है। छुट्टियों के दौरान अदालत आम तौर पर किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार-पृच्छा मामलों से संबंधित रिटों को स्वीकार करती है।

अंतर्निहित नियम:

- सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के आदेश II के नियम 6 के तहत, मुख्य न्यायाधीश गर्मी या सर्दियों की छुट्टियों के दौरान 'अत्यावश्यक' प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।

स्रोत- द हिन्दू

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केरल के पांच कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नवीनतम पांच जीआई टैगके साथ, केरल कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध केरल के 17 कृषि उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- अट्टापडी अट्टुकोम्बु अवारा (बीन्स), अट्टापडी थुवारा (लाल चना), ओनाट्टुकरा एलु (तिल), कंथालूर-वट्टावदा वेलुथुल्ली (लहसुन) और कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी (स्नैप तरबूज) नवीनतम भौगोलिक संकेत हैं, जिन्हें पंजीकृत किया गया है।
- इन उत्पादों की अनूठी विशेषताएं, उनके उत्पादन के भौगोलिक क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने का आधार हैं।

अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा:

- पलक्कड़ के अट्टापडी क्षेत्र में खेती की जाने वाली अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा (बीन्स) बकरी के सींग की तरह मुड़ी हुई होती है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है।
- अन्य डोलिचोस बीन्स की तुलना में इसकी उच्च एंथोसायनिन सामग्री तने और फलों में बैंगनी रंग प्रदान करती है।
- एंथोसायनिन अपने एंटीडायबिटिक गुणों के साथ हृदय रोगों के उपचार में सहायक है।
- इसके अलावा इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है।
- अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा की उच्च फेनोलिक सामग्री कीट और रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे फसल जैविक खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है।

अट्टापडी थुवारा (लाल चना):

- अट्टापडी थुवारा में सफेद कोट वाले बीज होते हैं।
- अन्य लाल चने की तुलना में, अट्टापडी थुवारा के बीज बड़े होते हैं और बीज का वजन अधिक होता है।

- सब्जी और दाल के रूप में इस्तेमाल होने वाला यह स्वादिष्ट लाल चना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है।

कंथलूर-वत्तावदा वेलुथुल्ली (लहसुन):

- अन्य क्षेत्रों में उत्पादित लहसुन की तुलना में, इडुक्की में देवीकुलम ब्लॉक पंचायत के कंथलूर-वत्तावदा क्षेत्र के लहसुन में सल्फाइड, फ्लेवोनोइड और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।
- यह एलिसिन से भरपूर है, जो माइक्रोबियल संक्रमण, रक्त शर्करा, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोगों और रक्त वाहिकाओं की हानि के निदान में कारगर है।
- इस क्षेत्र में लहसुन की खेती आवश्यक तेल के कारण भी समृद्ध है।

ओनाटुकारा एलु (तिल):

- ओनाटुकारा एल्लू और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- ओनाटुकारा एलू में अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री फ्री रेडीकल्स से लड़ने में मदद करती है, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं।
- इसके अलावा, असंतृप्त वसा की उच्च सामग्री इसे हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद बनाती है।

कोडुंगलूर पोट्टुवेलारी (स्नैप मेलन):

- कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलरी की खेती कोडुंगल्लूर और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में की जाती है और इसका उपयोग रस के रूप में और अन्य रूपों में किया जाता है।
- गर्मियों में काटा जाने वाला यह स्नैप तरबूज प्यास बुझाने के लिए बहुत अच्छा है।
- इसमें उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है।
- अन्य कुकुरबिट्स की तुलना में, कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा की मात्रा जैसे पोषक तत्व भी अधिक होते हैं।

स्रोत- द हिन्दू

क्षेत्रीय परिषद्

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री 17 दिसंबर, 2022 को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिया गया

था।

- क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं।
- ये संसद के एक अधिनियम यानी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की गयी हैं।
- अधिनियम ने देश को पांच क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया।

इन क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

- **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद,** जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं;
- **मध्य क्षेत्रीय परिषद,** जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं;
- **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद,** जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं;
- **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद,** जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य तथा दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं;
- **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद,** जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।
- **उत्तर-पूर्वी परिषद:**
  उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय (vii) नागालैंड क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं।उनकी विशेष समस्याओं पर उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा ध्यान दिया जाता है।
  23 दिसंबर, 2002 को अधिसूचित उत्तर पूर्वी परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से सिक्किम राज्य को भी उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया है।

क्षेत्रीय परिषदों की संगठनात्मक संरचना क्या है?

- **अध्यक्ष -** केंद्रीय गृहमंत्री, इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
- **उपाध्यक्ष -** प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमशः उस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
- **सदस्य-** मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित दो अन्य मंत्री और जोन में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों से दो सदस्य।
- **सलाहकार-** प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति, मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त।

उद्देश्य:

क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना;

तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्टतावादी प्रवृत्तियों के विकास को रोकना;

केंद्र एवं राज्यों को सहयोग करने और विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना;

विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना।

कार्य:

- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है जिसके पास ऐसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार है जिस पर संघ और उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले एक या अधिक राज्यों के साथ-साथ उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों का साझा हित हो।
- इसके पास केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अधिकार है।
- विशेष रूप से, एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित के संबंध में चर्चा कर सकती है और सिफारिशें कर सकती है:

  आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई मामला;

  सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों या अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला;

  राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई मामला।

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो

वायनाड चावल महोत्सव

चर्चा में क्यों?

- केरल स्थित थानाल नाम के एक संगठन ने वायनाड जिले के पनावली में अपने कृषि पारिस्थितिकी केंद्र में 1.5 एकड़ भूमि पर पारंपरिक चावल की 300 जलवायु-लचीली किस्मों को रोपते हुए एक अनूठा संरक्षण प्रयोग शुरू किया है।

वायनाड राइस फेस्टिवल के बारे में:

- इस पहल का उद्देश्य लोगों को उन पारंपरिक फसलों के संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना है जिनमें कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है।
- थानाल 2012 से वार्षिक "चावल क्षेत्र सप्ताह" आयोजित कर रहा है।

- यह त्यौहार जनजातीय किसानों और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने और ज्ञान के सह-निर्माण के लिए भी मंच तैयार करता है।
- थानाल ने चावल की 30 किस्मों के संग्रह के साथ 2009 में 'हमारे चावल बचाओ' अभियान के तहत पनावली में चावल विविधता ब्लॉक (RDB) का भी शुभारंभ किया।
- अधिकांश किस्मों को केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से एकत्र किया गया था।
- कई किस्में सूखा-प्रतिरोधी और बाढ़-सहिष्णु हैं, जबकि अन्य में सुगंधित और औषधीय गुण हैं।
- थोंडी किस्म, कुछ दशक पहले वायनाड में लोगों के बीच एक पारंपरिक और लोकप्रिय चावल था जो उत्पादकता के मामले में किसी भी संकर चावल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था।
- काले चावल की किस्में जिंक, आयरन और अन्य पोषक तत्वों जैसे खनिजों से भरपूर होती हैं।
- भारत में चावल की लगभग 5 लाख किस्में थीं, जिनमें से लगभग 3,000 किस्में केरल के लिए विशिष्ट थीं।

स्रोत- द हिन्दू

गोल्ड बॉन्ड

चर्चा में क्यों?

- RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 - सीरीज III की घोषणा की है, जो 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी।

गोल्ड बॉन्ड के बारे में:

- गोल्ड बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें सोने के ग्राम में दर्शाया जाता है।
- निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परिपक्वता पर बॉन्ड को नकद में भुनाना होता है।
- यह बॉन्ड सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है।
- ये बॉन्ड सोने को भौतिक रूप में रखने का एक बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं।
- इससे भंडारण के जोखिम और लागत समाप्त हो जाती है।
- निवेशकों को परिपक्वता और ब्याज के सन्दर्भ में समय-समय पर सोने के बाजार मूल्य का आश्वासन दिया जाता है।
- आभूषण के रूप में सोने के मामले में यह मेकिंग चार्ज और शुद्धता जैसे मुद्दों से मुक्त है।

- बॉन्ड आरबीआई की पुस्तकों में या डीमैट रूप में रखे जाते हैं जिससे नुकसान का जोखिम समाप्त हो जाता है।
- यद्यपि बॉन्ड की अवधि आठ साल है लेकिन इसे पांच साल के बाद रिडीम किया जा सकता है।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

डॉक्सिंग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ट्विटर ने कई पत्रकारों के खाते को निलंबित कर दिया है और इसके मालिक एलोन मस्क के अनुसार, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई एंटी-डॉक्सिंग नीति की निरंतरता के तहत किया गया।

प्रमुख बिंदु

डॉक्सिंग वास्तव में क्या है?

- 'ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स' वाक्यांश का संक्षिप्त रूप, डॉक्सिंग, किसी के बारे में व्यक्तिगत या पहचान-प्रकट करने वाली जानकारी को ऑनलाइन प्रकट करने का कार्य है, जैसे कि उनका वास्तविक नाम, व्यक्तिगत दस्तावेज़, फ़ोन नंबर, घर का पता, कार्यस्थल और अन्य वित्तीय जानकारी।
- डॉक्सिंग की प्रक्रिया में, सार्वजनिक क्षेत्र में पीड़ित की जानकारी के बिना व्यक्तिगत जानकारी प्रसारित की जाती है और कुछ मामलों में यह वास्तविक जीवन को प्रभावित करती है।
- यह राजनीतिक विचारों का विरोध करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय और विवादास्पद रणनीति है और कभी-कभी मशहूर हस्तियों को डॉक्सिंग के कारण वास्तविक जीवन में गंभीर परिणाम झेलने पड़े हैं।
- कई मामलों में, उत्पीड़कों ने इस निजी जानकारी का इस्तेमाल कई पीड़ितों के घरों में SWAT टीम या सशस्त्र पुलिस भेजने के लिए किया है।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस